Seen
Arti
24/8/21

स० स० –03/या०-43/2018/ 3549

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग।

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

आरती कुमारी,
सहायक निबंधक,
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 23.8.2021

विषय : राज्य के वर्तमान और सक्रिय गरीबी उन्मूलन योजनाओं संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के पत्रांक- 276 दिनांक- 29.07.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि राज्य के वर्तमान और सक्रिय गरीबी उन्मूलन योजनाओं संबंधी प्रतिवेदन संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नक –. यथोक्त।

विश्वासभाजन

23/08/2021

विशेष कार्य पदाधिकारी,
समाज कल्याण विभाग।

23/9/21

1822
24/8/21

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य समाज के गरीब,परिवार के विधवाओं को आर्थिक सहायता पहुचाते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

2. निधि का संवितरण

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत 40-79 वर्ष आयु वर्ग के विधवा को एक समान राशि का लाभ देने हेतु राशि का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा प्रावधानित है।

3. देय राशि

बी.पी.एल. परिवार के 40-79 वर्ष आयु के वृद्ध व्यक्ति को 400/- रू० प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है।

4. पात्रता

बी0पी0एल परिवार के 40 वर्ष या अधिक आयु के विधवा महिलाएँ इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत आच्छादित होंगी।

5. प्रक्रिया

इस योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा करना होगा।

6. उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में जिला से प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाता है।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत MIS की सुविधा रहेगी। इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं। इस कार्यकम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जाँच दल का भी गठन किया जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम,2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है।

इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य समाज के गरीब, परिवार के वृद्धज़नों को आर्थिक सहायता पहुचाते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

2. निधि का संवितरण

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत 60 वर्ष या अधिक आयु के अति वृद्धजन, अन्य वृद्धजन को एक समान राशि का लाभ देने हेतु राशि का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा प्रावधानित है।

3. देय राशि

इस योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार के 60-79 वर्ष आयु के वृद्ध व्यक्ति को 400/- रू० प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति को 500/-रू० प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है

4. पात्रता

बी0पी0एल परिवार के 60 वर्ष या अधिक आयु के महिला/पुरूष इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आच्छादित होंगे|

5. प्रक्रिया

इस योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा किया जाता है।

6. उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया

इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में जिला से प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाता है।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत MIS की सुविधा रहेगी| साथ ही सभी योजनाओं में प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं। इस कार्यक्रम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जॉच दल का भी गठन किया जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

इस के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है।

इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य समाज के गरीब, परिवार के दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता पहुचाते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

2. देय राशि

इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के 18-79 वर्ष आयु वर्ग के 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांतगता वाले दिव्यांहग व्यक्ति को रू0 400/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रू0 300/- केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 100/- राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है। 80 वर्ष आयु के उपरान्त इस योजना के पेंशनधारी को इन्दिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जाता है।

3. पात्रता

बी0पी0एल परिवार के 18-79 वर्ष आयु के महिला/पुरूष इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना के तहत आच्छादित होंगे।

4. प्रक्रिया

इस योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा किया जाता है।

5. उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया

इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना में जिला से प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाता है।

6. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत MIS की सुविधा रहेगी। साथ ही सभी योजनाओं में प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं। इस कार्यक्रम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जॉच दल का भी गठन किया जाता है।

7. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना

1. उद्देश्य

राज्य के सभी वृद्धजनों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना लागू किया गया है।

2. निधि का संवितरण

इसके अन्तर्गत राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी आय वर्ग के वृद्धजन को रूपया 400/- एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन को रूपया 500/- प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जाता है।

3. देय राशि

इसके अन्तर्गत राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी आय वर्ग के वृद्धजन को रूपया 400/- एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन को रूपया 500/- प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जाता है।

4. पात्रता

इसके अन्तर्गत राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी आय वर्ग के वृद्धजन।

5. प्रक्रिया

इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के RTPS काउन्टर पर जमा किया जाता है। साथ ही, इसमें sspmis.in पर ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था भी की गई है।

6. उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में जिला से प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाता है।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत MIS की सुविधा रहेगी। साथ ही सभी योजनाओं में प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं। इस कार्यक्रम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जाँच दल का भी गठन किया जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है।

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य समाज के गरीब, परिवार के विधवा महिला को आर्थिक सहायता पहुचाते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

2. निधि का संवितरण

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष या अधिक आयु के विधवा महिला को 400/- रू० प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है।

3. देय राशि

इस योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार के 18 वर्ष या अधिक आयु के विधवा महिला को 400/- रू० प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है।

4. पात्रता

बी0पी0एल परिवार अथवा जिसकी वार्षिक आय 60000/- से कम हो एवं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो वैसी विधवा महिला इस योजना के तहत आच्छादित होगी।

5. प्रक्रिया

इस योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा किया जाता है।

6. उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जिला से प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाता है।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत MIS की सुविधा रहेगी। साथ ही प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं। इस कार्यक्रम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जांच दल का भी गठन किया जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है।

बिहार राज्य दिव्यांगता पेंशन योजना

1. **उद्देश्य**

इस योजना का उद्देश्य समाज के गरीब परिवार के दिव्यांग वर्ग को आर्थिक सहायता पहुचाते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

2. **निधि का संवितरण**

दिव्यांग व्यक्ति को 400/- रू० प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है

3. **देय राशि**

किसी भी आय एवं आयु वर्ग के 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले नि:शक्त व्यक्ति इस योजना के तहत आच्छादित होंगे।

4. **पात्रता**

किसी भी आय एवं आयु वर्ग के 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले नि:शक्त व्यक्ति को 400/- रू० प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है।

5. **प्रक्रिया**

इस योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा किया जाता है।

6. **उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया**

बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना में जिला से प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाता है।

7. **अनुश्रवण की प्रक्रिया**

इस योजना के अंतर्गत MIS की सुविधा रहेगी| साथ ही प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं। इस कार्यक्रम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जॉच दल का भी गठन किया जाता है।

8. **शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स**

बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है।

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब परिवार के सदस्य के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत मृतक के निकटवर्ती आश्रित को आर्थिक सहायता पहुचाते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

2. निधि का संवितरण

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के लिए शत प्रतिशत राशि का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है।

3. देय राशि

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना अन्तर्गत्त पात्र लाभुकों के आश्रित को एकमुश्त रू0 20000/- रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

4. पात्रता

किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या 18-60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति की आपराधिक घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार या निकटतम संबंधी को अनुदान देय होगा । उदाहरणस्वरुप किसी दुर्घटना में एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर सभी मृतक, मृत बच्चे सहित प्रति मृतक के लिए अनुदान अनुमान्य होगा। आत्महत्या के मामलें में यह लाभ देय नहीं होगा।

5. प्रक्रिया

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखण्ड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा किया जाता है।

6. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना में जिला से प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना के अनुश्रवण हेतु प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं। इस कार्यकम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जॉच दल का भी गठन किया जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एक्केलेशन मैट्रिक्स

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है।

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

1. उदेश्य

इस योजना का उद्देश्य राज्य के दिव्यांगजनों के विवाह को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें आर्थिक सहायता पहुचाते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

2. निधि का संवितरण

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के लिए शत प्रतिशत राशि का प्रावधान केन्द्र सरकार के द्वारा किया जाता है।

3. देय राशि

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अन्तर्गत् पात्र लाभुकों को एकमुश्त रू0 100000/- रूपये की सहायता दी जाती है।

4. पात्रता

अन्तर्जातीय विवाह अथवा दिव्यांग महिला/पुरूष के साथ विवाह करने पर जिसमें महिला एवं पुरूष की आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष से अन्यून हो तो अन्तर्जातीय विवाह के लिए महिला को एवं दिव्यांगजन से विवाह के लिए दिव्यांगजन को अनुदान देय होगा| यदि ऐसी विवाह में पति/पत्नी दोनों दिव्यांग हों तो दोनों को अनुदान देय होगा। इसी प्रकार दिव्यांगजन यदि अन्तर्जातीय विवाह करतें हैं तो दिव्यांग विवाह के साथ साथ अन्तर्जातीय विवाह के लिए देय अनुदान भी अनुमान्य होगा। उदाहरणस्वरुप यदि पति पत्नी दोनों दिव्यांग हों और उनकी जाति भी भिन्न हो तो पत्नी को अन्तर्जातीय विवाह एवं दिव्यांग विवाह – दोनों के लिए तथा पति को दिव्यांग विवाह हेतु अर्थात अनुदान की तीन इकाई अनुमान्य होगी।

5. प्रक्रिया

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले आवेदक को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखण्ड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा किया जाता है।

6. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में जिला से प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना के अनुश्रवण हेतु प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं। इस कार्यक्रम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जॉच दल का भी गठन किया जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

इस योजना के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है।

अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य राज्य में जाति प्रथा का अन्त कर अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

2. निधि का संवितरण

अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के लिए शत प्रतिशत राशि का प्रावधान केन्द्र सरकार के द्वारा किया जाता है।

3. देय राशि

अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अन्तर्गत् पात्र लाभुकों को एकमुश्त रू0 100000/- रूपये की सहायता दी जाती है।

4. पात्रता

अन्तर्जातीय विवाह अथवा दिव्यांग महिला/पुरूष के साथ विवाह करने पर जिसमें महिला एवं पुरूष की आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष से अन्यून हो तो अन्तर्जातीय विवाह के लिए महिला को एवं दिव्यांगजन से विवाह के लिए दिव्यांगजन को अनुदान देय होगा| यदि ऐसी विवाह में पति/पत्नी दोनों दिव्यांग हों तो दोनों को अनुदान देय होगा। इसी प्रकार दिव्यांगजन यदि अन्तर्जातीय विवाह करतें हैं तो दिव्यांग विवाह के साथ साथ अन्तर्जातीय विवाह के लिए देय अनुदान भी अनुमान्य होगा। उद्दाहरणस्वरुप यदि पति पत्नी दोनों दिव्यांग हों और उनकी जाति भी भिन्न हो तो पत्नी को अन्तर्जातीय विवाह एवं दिव्यांग विवाह दोनों के लिए तथा पति को दिव्यांग विवाह हेतु अर्थात अनुदान की तीन इकाई अनुमान्य होगी।

5. प्रक्रिया

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले आवेदक को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखण्ड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा किया जाता है।

6. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में जिला से प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना के अनुश्रवण हेतु प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं। इस कार्यकम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जॉच दल का भी गठन किया जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है।

कबीर अंत्येष्ठि अनुदान योजना

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब परिवार के सदस्य के मृत्यु के उपरांत उनके अंत्येष्ठि क्रिया हेतु मृतक के निकटवर्ती आश्रित को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

2. निधि का संवितरण

कबीर अंत्येष्ठि अनुदान योजना के लिए शत प्रतिशत राशि का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है।

3. देय राशि

कबीर अंत्येष्ठि अनुदान योजना अन्तर्गत्त मृतक के आश्रित को अन्तेष्ठि क्रिया हेतु एकमुश्त रू0 3000/- रूपये की सहायता दी जाती है।

4. पात्रता

बी0पी0एल परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अंत्येष्ठि क्रिया हेतु परिवार को अनुदान देय होगा ।

5. प्रक्रिया

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखण्ड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा किया जाता है।

6. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

कबीर अंत्येष्ठि अनुदान योजना में जिला से प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना के अनुश्रवण हेतु प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं। इस कार्यकम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जॉच दल का भी गठन किया जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

कबीर अंत्येष्ठि अनुदान योजना के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है।

बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य राज्य के कुष्ठ रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

2. निधि का संवितरण

बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के लिए शत प्रतिशत राशि का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है।

3. देय राशि

बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना एक मासिक सहायता कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत Visible Deformities Grade –II के कृष्ट रोगी को प्रति माह रूपये 1500/- की सहायता दी जाती है।

4. पात्रता

Visible Deformities Grade –II के कुष्ठ रोगी को देय होगा।

5. प्रक्रिया

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्तियों के आश्रितं को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखण्ड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा किया जाता है।

6. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना में जिला से प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना के अनुश्रवण हेतु प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं। इस कार्यकम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जॉच दल का भी गठन किया जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है।

बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य राज्य के एड्स रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

2. निधि का संवितरण

बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के लिए शत प्रतिशत राशि का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है।

3. देय राशि

बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना एक मासिक सहायता कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत एड्स रोगी को प्रति माह रूपये 1500/- की सहायता दी जाती है।

4. पात्रता

18 वर्ष या अधिक आयु के एड्स रोगी बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के तहत आच्छादित होंगे|

5. प्रक्रिया

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन बिहार राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी में जमा किया जाता है।

6. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना में एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना के अनुश्रवण हेतु प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं। इस कार्यकम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जॉच दल का भी गठन किया जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

1. उदेश्य

इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब परिवार के सदस्य के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत मृतक के निकटवर्ती आश्रित को आर्थिक सहायता पहुचाते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

2. निधि का संवितरण

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए शत प्रतिशत राशि का प्रावधान केन्द्र सरकार के द्वारा किया जाता है।

3. देय राशि

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना अन्तर्गत् पात्र लाभुकों के आश्रित को एकमुश्त रू0 20000/- की सहायता दी जाती है।

4. पात्रता

बी0पी0एल परिवार के 18-60 वर्ष आयु वर्ग के कमाउ सदस्य (Bread winner) की अकस्मात मृत्यु पर उसके शोक-संतप्त परिवार को अनुदान देय होगा।

5. प्रक्रिया

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखण्ड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा किया जाता है।

6. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में जिला से प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना के अनुश्रवण हेतु प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं। इस कार्यक्रम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जॉच दल का भी गठन किया जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है।

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल)

1. उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा संचालित दिव्यांगता प्रक्षेत्र की सभी योजनाओं को दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ शीघ्र लाभ उपलब्ध कराना है| दिव्यांगजनों के प्रति जागरूकता बढाना, उन्हें भौतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करते हुए उनके अधिकार सुनिश्चित करना है।

2. निधि का संवितरण

सम्बल के संचालन के लिए शत प्रतिशत राशि का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है| इसी प्रकार राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं में राज्य की सहभागिता हेतु राज्यांश एवं लाभुकों को आवश्यक पूरक अनुदान राशि इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है|

3. देय राशि

इस योजना अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु 2.00 लाख रू0 तक का ऋण देय होगा| परन्तु विशेष विद्यालय में शिक्षण हेतु छात्रवृति देय होगी जिसका दर गैर-दिव्यांगजन को देय दर से अन्यून होगा | अतिविशिष्ट मामलों में अनुदान तथा राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं में राज्य अनुदान का दर योजना एवं लाभार्थी विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप देय होगा|

4. पात्रता

- आयु सीमा स्वरोजगार ऋण के लिए 18-60 वर्ष तथा कृत्रिम अंग एवं उपकरण के लिए 5 वर्ष से अधिक होगी|
- अतिविशिष्ट मामलों में अनुदान बहुदिव्यांगजन एवं न्यायादेश से आच्छादित सभी मामलों में देय होगा एवं इसमें आय, आयु आदि की सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा|
- विशेष विद्यालय हेतु विद्यार्थी की आयु सीमा 6-18 वर्ष होगी|
- आश्रय गृह (आशियाना/साकेत) हेतु लाभार्थी (पुरूष/महिला) की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी|

5. प्रक्रिया

विहित प्रपत्र में आवेदन कृत्रिम अंग/उपकरण के लिए प्रखण्ड कार्यालय/ जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग तथा शिक्षा ऋण, स्वरोजगार ऋण, दिव्यांग छात्रवृति के लिए जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय में जमा करना होगा। इसकी स्वीकृति सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा की जाती है।

6. उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया

शिक्षा एवं स्वरोजगार ऋण के मामले में राशि बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित निगम द्वारा लाभुक को उपलब्ध कराई जाती है। पिछड़ा वर्ग वित निगम से प्राप्त व्यय विवरणी के आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर सहायक निदेशक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार होते है तथा प्रत्येक माह प्रगति प्रतिवेदन निदेशालय को भेजते है। विशेष परिस्थिति में निदेशालय स्तर से जॉच दल का गठन कर निगरानी एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। साथ ही राज्य स्तर पर राज्य आयुक्त नि:शक्तता का कार्यालय कार्यरत है जहाँ दिव्यांगजन सीधे परिवाद दायर कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

सिपडा

1. उद्देश्य

दिव्यांगजनों को बाधामुक्त परिसर उपलब्ध कराना है, जिससे महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों, सार्वजनिक परिवहन, सरकार के बेवसाइट इत्यादि को सुगम्य बनाना है।

2. निधि का संवितरण

इसके अन्तर्गत संचालित सभी योजनाओं के लिए शत प्रतिशत राशि का प्रावधान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

3. देय राशि

इस योजना के अंतर्गत देय राशि का दर योजना एवं लाभार्थी विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।

4. पात्रता

सभी दिव्यांगजन।

5. प्रक्रिया

केन्द्र एवं राज्य स्तर से प्रस्ताव की स्वीकृति के आलोक में अन्य विभागो से समन्वय के उपरान्त आवश्यकतानुसार राशि का आवंटन किया जाता है।

6. उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया

निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार को भेजा जाता है।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर सहायक निदेशक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार होते है तथा प्रत्येक माह प्रगति प्रतिवेदन निदेशालय को भेजते है। विशेष परिस्थिति में निदेशालय स्तर से जॉच दल का गठन कर निगरानी एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस योजना अंतर्गत सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। साथ ही राज्य स्तर पर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग एवं राज्य आयुक्त नि:शक्तता का कार्यालय कार्यरत है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार जहाँ दिव्यांगजन सीधे परिवाद दायर कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

पोशाक योजना

1. उदेश्य

ऑगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना राज्य प्रायोजित योजना है। ऑगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों की अलग पहचान के साथ-साथ बच्चों में समरूपता एवं सामाजिक समरसता का भाव लाने के लिए सभी ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 03 वर्ष से 06 वर्ष तक प्रत्येक बच्चों को पोशाक उपलब्ध करना है।

2. निधि का संवितरण

पोशाक योजना का व्यय शत प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

3. देय राशि

ऑगनबाडी केन्द्र पर नामांकित सभी बच्चों को प्रति बच्चा रूपये 400/- प्रति वर्ष की दर से भुगतान किया जात है।

4. पात्रता

ऑगनबाडी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना अन्तर्गत ऑगनबाडी केन्द्र पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3-6 वर्ष के बच्चें।

4. प्रक्रिया

स्कूल पूर्व शिक्षा (पोशाक योजना) का लाभ प्राप्त करना चाहते है, ऑगनबाडी केन्द्र की संबंधित योजना की पंजी में नाम अंकित कराकर निर्धारित मापदण्ड का अनुपालन करते हुए लाभ प्राप्त करते है।

5. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा राशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के माध्यम से आई0सी0डी0एस0 निदेशालय को भेजा जाता है। आई0सी0डी0एस0 निदेशालय द्वारा विभागीय अनुमोदनोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार/भारत सरकार को भेजा जाता है।

6. अनुश्रवण की प्रक्रिया

पोशाक योजना की निगरानी ऑगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर गठित ऑगनबाड़ी विकास समिति द्वारा की जाती है|

सामाजिक अंकेक्षण - साथ ही ऑगनबाड़ी केन्द्र पर दी जाने वाली सेवाओं का वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण कराया जाता है तथा समय-समय पर राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर गठित टीम द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है।

पर्यवेक्षण/निरीक्षण - इसके अतिरिक्त ऑगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण/निरीक्षण हेतु औसतन 25 ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर एक महिला पर्यवेक्षिका, परियोजना स्तर पर बाल विकास परियेाजना पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पदस्थापित है।

सूचना तकनीक से अनुश्रवण - ऑगनबाडी केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में पारदर्शिता लाने हेतु ICT-RTM (Information Communication Technology-Real Time Monitoring) अन्तर्गत 'ICDS-CAS' (Common Application Software) तथा "ऑगन" ऐप के द्वारा भी ऑगनबाडी केन्द्रों का अनुश्रवन होगा।

7. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं विभाग स्तर पर विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहॉ इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। साथ ही परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी, प्रमण्डल स्तर पर प्रमण्डलीय आयुक्त तथा राज्य स्तर पर निदेशक, आई0सी0डी0एस0 एवं अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग से लिखित/दूरभाष पर सम्पर्क कर समस्या को दर्ज करा सकते है।

राष्ट्रीय पोषण मिशन

1. उदेश्य

यह केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक निश्चित समय सीमा के अंदर कुपोषण को कम किया जाना है। बच्चों में कुपोषण के बचाव हेतु अन्नप्रासन उत्सव मासिक रूप से प्रत्येक पोषक क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। आई.सी.डी.एस. के कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं गुणात्मंक सुधार लाने हेतु ICT-RTM रियल टाइम मॉनिटरिंग की शुरूआत की गई है। जिसके तहत सभी 38 जिलों के ऑगनवाडी सेविकाओं को स्मार्ट फोन प्रदान की गई है। साथ ही राज्य के सभी 38 जिलों की महिला पर्यवेक्षिकाओं को प्रदतत टेबलेटस में इंटरनेट कनेक्टीवीटी के लिए राशि उपलब्ध कराया जाता है।

2. पात्रता

6 माह से 6 वर्ष के तक के बच्चे इसके तहत आच्छादित होंगे।

3. प्रक्रिया

ऑगनबाडी केन्द्र की संबंधित योजना की पंजी में नाम अंकित कराकर निर्धारित मापदण्ड का अनुपालन करते हुए लाभ प्राप्त करते है।

4. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा राशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के माध्यम से आई0सी0डी0एस0 निदेशालय को भेजा जाता है। आई0सी0डी0एस0 निदेशालय द्वारा विभागीय अनुमोदनोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार/भारत सरकार को भेजा जाता है।

5. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं विभाग स्तर पर विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहॉ इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। साथ ही परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी, प्रमण्डल स्तर पर प्रमण्डलीय आयुक्त तथा राज्य स्तर पर निदेशक, आईCसी0डी0एस0 एवं अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग से लिखित/दूरभाष पर सम्पर्क कर समस्या को दर्ज करा सकते है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना

1. उदेश्य

इस योजना के तहत भारत सरकार के निदेश के आलोक में गर्भवती एवं प्रसूति महिला के स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु तीन किस्तों में रूपये 5000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

2. निधि का संवितरण

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए क्रमश: केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है।

3. देय राशि

इस योजना अन्तर्गत प्रति लाभार्थी महिला (गर्भवती/प्रसूति) को प्रथम जीवित संतान के लिए रू0 5,000/- की राशि का भुगतान DBT के माध्यम से किया जाता है।

4. पात्रता

भारत सरकार के द्वारा दिये गये दिशा-निदेश का अनुपालन करने वाली सभी गर्भवती एवं प्रसूति महिला आच्छादित होती है।

5. प्रक्रिया

ऑगनबाडी केन्द्र की संबंधित योजना की पंजी में नाम अंकित कराकर निर्धारित मापदण्ड का अनुपालन करते हुए लाभ प्राप्त करते है।

6. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा राशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के माध्यम से आई0सी0डी0एस0 निदेशालय को भेजा जाता है। आई0सी0डी0एस0 निदेशालय द्वारा विभागीय अनुमोदनोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार/भारत सरकार को भेजा जाता है।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की निगरानी ऑगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर गठित ऑगनबाड़ी विकास समिति द्वारा की जाती है।

सामाजिक अंकेक्षण - साथ ही ऑगनबाड़ी केन्द्र पर दी जाने वाली सेवाओं का वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण कराया जाता है तथा समय-समय पर राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर गठित टीम द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है।

पर्यवेक्षण/निरीक्षण - इसके अतिरिक्त ऑगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण/निरीक्षण हेतु औसतन 25 ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर एक महिला पर्यवेक्षिका, परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पदस्थापित है।

सूचना तकनीक से अनुश्रवण - ऑगनबाडी केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में पारदर्शिता लाने हेतु ICT-RTM (Information Communication Technology-Real Time Monitoring) अन्तर्गत 'ICDS-CAS' (Common Application Software) तथा "ऑगन" ऐप के द्वारा भी ऑगनबाडी केन्द्रों का अनुश्रवन होगा।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं विभाग स्तर पर विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। साथ ही परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी, प्रमण्डल स्तर पर प्रमण्डलीय आयुक्त तथा राज्य स्तर पर निदेशक, आई0सी0डी0एस0 एवं अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग से लिखित/दूरभाष पर सम्पर्क कर समस्या को दर्ज करा सकते है।

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना

1. उदेश्य

किशोरी बालिका योजना (SAG) :- यह केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसका मुख्य उदेश्य किशोरियों को सहयोग प्रदान कर स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा के स्तर में सुधार करना है ताकि वे आत्म निर्भर और जागरूक बने सके। इस योजना के अन्तर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं को पोषाहार, आयरन एवं फॉलिक एसिड की गोली, स्वास्थ्य जाँच, संदर्भित सेवा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि प्रदान किया जाता है।

2. निधि का संवितरण

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (सबला) अन्तर्गत केन्द्रांश तथा राज्यांश का अनुपात पोषाहार कार्यक्रम के लिए 50:50 एवं अन्य योजना के लिए 60:40 के अनुपात है।

3. देय राशि

इसके अन्तर्गत सभी लाभार्थियों को प्रति माह टेक होम राशन एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।

4. पात्रता

11 से 14 वर्ष की स्कूल नही जानेवाली किशोरी बालिकाएँ आच्छादित होती है।

5. प्रक्रिया

ऑगनबाडी केन्द्र की संबंधित योजना की पंजी में नाम अंकित कराकर निर्धारित मापदण्ड का अनुपालन करते हुए लाभ प्राप्त करते है।

6. अनुश्रवण की प्रक्रिया

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना की निगरानी ऑगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर गठित ऑगनबाड़ी विकास समिति द्वारा की जाती है|

सामाजिक अंकेक्षण - ऑगनबाड़ी केन्द्र पर दी जाने वाली सेवाओं का वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण कराया जाता है तथा समय-समय पर राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर गठित टीम द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है।

पर्यवेक्षण/निरीक्षण - ऑगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण/निरीक्षण हेतु औसतन 25 ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर एक महिला पर्यवेक्षिका, परियेाजना स्तर पर बाल विकास परियेाजना पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पदस्थापित है।

सूचना तकनीक से अनुश्रवण - ऑगनबाडी केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में पारदर्शिता लाने हेतु ICT-RTM (Information Communication Technology-Real Time Monitoring) अन्तर्गत 'ICDS-CAS' (Common Application Software) तथा "ऑगन" ऐप के द्वारा भी ऑगनबाडी केन्द्रों का अनुश्रवन होगा।

7. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं विभाग स्तर पर विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। साथ ही परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी, प्रमण्डल स्तर पर प्रमण्डलीय आयुक्त तथा राज्य स्तर पर निदेशक, आई0सी0डी0एस0 एवं अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग से लिखित/दूरभाष पर सम्पर्क कर समस्या को दर्ज करा सकते है।

पूरक पोषाहार कार्यक्रम

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य ऑगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से राज्य के 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती, प्रसूति महिला तथा किशोरी बालिकाओं के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना तथा उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य/पोषण संबंधी जरूरतों की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढाना है।

2. निधि का संवितरण

पूरक पोषाहार कार्यक्रम के लिए क्रमश:केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 50:50 है।

3. देय राशि

पूरक पोषाहार कार्यकम अन्तर्गत केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित दरें लागू होंगी।

4. पात्रता

राज्य के ऑगनबाडी केन्द्र में नामांकित 6 माह से 6 वर्ष के सभी बच्चें, गर्भवती तथा धातृ महिलाएँ।

5. प्रक्रिया

ऑगनबाडी केन्द्र के पोषक क्षेत्र के सभी गृहों का ऑगनबाडी सेविका द्वारा सर्वेक्षण कर ऑगनबाडी केन्द्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के योग्य लाभार्थियों यथा- 0-6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती एवं प्रसूति महिला, किशोरी बालिकाएँ की सूची तैयार की जाती है। इस सूची में अंकित सभी योग्य लाभार्थी जो ऑगनबाडी केन्द्र के माध्यम से पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है।

6. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा राशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के माध्यम से आई0सी0डी0एस0 निदेशालय को भेजा जाता है। आई0सी0डी0एस0 निदेशालय द्वारा विभागीय अनुमोदनोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार/भारत सरकार को भेजा जाता है।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

सामाजिक अंकेक्षण - साथ ही ऑगनबाड़ी केन्द्र पर दी जाने वाली सेवाओं का वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण कराया जाता है तथा समय-समय पर राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर गठित टीम द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है।

पर्यवेक्षण/निरीक्षण - इसके अतिरिक्त ऑगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण/निरीक्षण हेतु औसतन 25 ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर एक महिला पर्यवेक्षिका, परियोजना स्तर पर बाल विकास परियेाजना पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पदस्थापित है।

सूचना तकनीक से अनुश्रवण - ऑगनबाडी केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में पारदर्शिता लाने हेतु ICT-RTM (Information Communication Technology-Real Time Monitoring) अन्तर्गत 'ICDS-CAS' (Common Application Software) तथा ''ऑगन'' ऐप के द्वारा भी ऑगनबाडी केन्द्रों का अनुश्रवन होगा।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं विभाग स्तर पर विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। साथ ही परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी, प्रमण्डल स्तर पर प्रमण्डलीय आयुक्त तथा राज्य स्तर पर निदेशक, आई0सी0डी0एस0 एवं अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग से लिखित/दूरभाष पर सम्पर्क कर समस्या को दर्ज करा सकते है।

समेकित बाल संरक्षण योजना

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य अनिवार्य सेवाओं यथा, आपातकालीन पहुंच, संस्थागत देखभाल, परिवार एवं समुदाय आधारित देखभाल, परामर्श एवं समर्थन सेवाओं की राज्य एवं जिला स्तरों पर स्थापित करना तथा बाल अधिकारों एवं संरक्षण विषय पर आमजनों का जागरूक करना तथा सभी मौजूदा बाल संरक्षण सेवाओं, योजनाओं और हर स्तर की संरचनाओं की जानकारी देना तथा अनाथ, बेसहारा, दुसाध्य रोगों से पीडित बच्चों तथा इन दुसाध्य रोगों से पीडित माता-पिता के बच्चों के पालन पोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

2. निधि का संवितरण

इस योजना अंतर्गत किशोर न्याय परिषद् एवं बाल कल्याण समिति के संचालन में होने वाले व्यय में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 35 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी अवयवों में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत है तथा गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालित बाल देखरेख संस्थानों में केन्द्र, राज्य एवं गैर सरकारी संस्थाओं का अंशदान क्रमशः 60 प्रतिशत, 30 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत है।

3. देय राशि

अनाथ/अभ्यर्पित/परित्यक्त बच्चें को बाल गृह /खुला आश्रय एवं विशिष्ट दतक ग्रहण संस्थान में अनुरक्षण मद में 2000(दो हजार) रूपया प्रति माह के कि दर से व्यय किया जाता है।

4. पात्रता

18 वर्ष से कम आयु वर्ग के देखरेक्ष एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले/अनाथ/अभ्यर्पित/विधि विवादित बच्चें।

5. प्रक्रिया

समेकित बाल सरंक्षण योजना अंतर्गत विहित प्रपत्र में आवेदक स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सम्बंधित बाल कल्याण समिति अथवा जिला बाल संरक्षण इकाईके कार्यालय में से कहीं भी अपनी सुविधानुसार आवेदन दे सकते हैं।

6. उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया

जिला स्तर पर कार्यरत विभिन्न इकाईयों से योजना अन्तर्गत व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा प्राप्त कर समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से विभागीय अनुमोदनोपरांत महालेखाकार को समायोजन के लिए भेजा जाता है।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना के अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला बाल संरक्षण कमिटी की त्रैमासिक बैठक तथा मुख्यालय स्तर पर निदेशक, समाज कल्याण के स्तर से जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक में कार्यक्रम घटको के संचालन के प्रगति की समीक्षा की जाती है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है। इसके अतिरिक्त शिकायत, जिला बाल संरक्षण इकाई में दर्ज की जा सकती है। जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय से शिकायत का निपटारा नहीं होने की स्थिति में परियोजना निदेशक, राज्य बाल संरक्षण समिति, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय एवं अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

परवरिश योजना

1. **उद्देश्य**

अनाथ एवं बेसहारा बच्चों, दुसाध्य रोग से पीडित (एच0आई0वी0/एडस एवं कुष्ठ) बच्चों एवं इन रोगों के कारण दिव्यांगता के शिकार माता-पिता के संतान के बेहतर पालन-पोषण हेतु अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जायेगा।

2. **निधि का संवितरण**

इस योजना अंतर्गत आच्छादित बच्चों का अभिभावक के साथ खोले गये संयुक्त खाता में राशि का हस्तांतरण DBT के माध्यम से किया जाता है।

3. **देय राशि**

इस योजना अंतर्गत आच्छादित बच्चों का अभिभावक के साथ खोले गये संयुक्त खाता में 0-18 वर्ष के बच्चो हेतु 1000/- रूपया का हस्तांतरण DBT के माध्यम से किया जाता है ।

4. **पात्रता**

0-18 वर्ष आयु वर्ग के अनाथ/बेसहारा/एच0आई0वी0(+) एड्स/ Visible Deformities Grade II से पीडित बच्चे अथवा इन रोगों से पीडित माता-पिता की संताने।

5. **प्रक्रिया**

परवरिश योजना के तहत विहित प्रपत्र में आवेदन सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय, समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यालय ऑगनवाडी केन्द्रों में से कहीं भी अपनी सुविधानुसार दे सकते है। ऑगनवाडी सेविका, 15 दिनों के अन्दर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एक सप्ताह के अन्दर अपने मंतव्य के साथ अनुमंडल पदाधिकारी को जमा कर देगे।

6. **उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया**

जिला स्तर पर कार्यरत विभिन्न इकाईयों से योजना अन्तर्गत व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा प्राप्त कर समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से विभागीय अनुमोदनोपरांत महालेखाकार को समायोजन के लिए भेजा जाता है।

7. **अनुश्रवण की प्रक्रिया**

इस योजना के अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला बाल संरक्षण कमिटी की त्रैमासिक बैठक तथा मुख्यालय स्तर पर निदेशक, समाज कल्याण के स्तर से जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक में कार्यक्रम घटको के संचालन के प्रगति की समीक्षा की जाती है। साथ ही वार्षिक कार्य योजना एवं मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा समेकित एम0आई0एस0 पर मासिक प्रतिवेदन के आधार पर अनुश्रवण की जाती है।

8. **शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स**

अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहॉ इस योजना से संबंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त शिकायत जिला बाल संरक्षण इकाई में दर्ज की जा सकती है। जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय से शिकायत का निपटारा नहीं होने की स्थिति में परियोजना निदेशक, राज्य बाल संरक्षण समिति, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय एवं अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

1. उदेश्य

इस योजना के अन्तर्गत वन स्टॉप सेन्टर, स्वाधार गृह, उज्जवला, स्टेप (Support to training and employment programme for women), महिला शक्ति केन्द्र तथा 24*7 महिला हेल्प लाईन 181 समाहित होंगे। इसके तहत भारत सरकार द्वारा संचालित महिलाओं से संबंधित योजनाओं यथा वन स्टॉप सेन्टर, महिला हेल्प लाईन 181, बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ, पूर्ण शक्ति केन्द्र आदि को तकनीकी सहयोग प्रदान करना है।

2. निधि का संवितरण

इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है।

3. देय सुविधाऍ

हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सीय, विधिक, परामर्शी एवं अस्थायी आश्रय हेतु वन स्टॉप सेन्टर, स्वाधार गृह तथा महिला हिंसा की स्थिति में त्वरित सहयोग करने तथा महिलाओं से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 24*7 महिला हेल्प लाईन 181 कार्यरत है। महिला शक्ति केन्द्र के अन्तर्गत कौशल विकास, रोजगार, डिजीटल साक्षरता, स्वास्थ्य एवं पोषण के अवसरों के साथ ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। उज्जवला योजना के तहत पीडित/संभावित पीडित महिलाऍ/बच्चों का बचाव एवं पुनर्वास किया जाता है। स्टेप योजना अन्तर्गत महिलाओं को स्वरोजगार हेतु कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जायेगा। स्वाधार गृह योजना अन्तर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाऍ एक वर्ष तक रह सकती है। अन्य श्रेणी की महिलाऍ अधिकतम तीन वर्ष तथा 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला को अधिकतम 5 वर्ष तक रखा जा सकता है, तत्पश्चात इन्हें वृद्धाश्रम या समतुल्य संस्थाओं में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

4. पात्रता

इसके अंतर्गत वैसी सभी महिला पात्र होंगी, जो घरेलू हिंसा, मानव पणन, प्राकृतिक आपदा के पश्चात बेघर हुई, जेल से रिहा की गयी महिलाऍ जिनका कोई परिवार न हो, महिलाओं के अवैध व्यापार/वेश्यालयों से छुड़ाई गयी हो या पीडित होने की सम्भावना हो या बच कर भागी हुई बालिका, एच0आई0वी0/एड्स से पीडित सामाजिक या आर्थिक सहायता विहीन महिलाऍ तथा किसी प्रकार की हिंसा आदि से पीड़ित एवं प्रताड़ित हो। महिला शक्ति केन्द्र योजनान्तर्गत कोई भी महिला इसके पात्र होगी तथा स्टेप योजना अन्तर्गत 16 वर्ष से अधिक की महिलाऍ पात्र होंगी।

5. प्रक्रिया

कोई भी पीडित महिला स्वयं एवं सेवा प्रदाताओं के माध्यम से वन स्टॉप सेन्टर/स्वाधार गृह/महिला हेल्प लाईन/उत्तर रक्षा गृह तथा अन्य संचालित संस्थाओं में जाकर अपना निबंधन कराकर सेवा का लाभ ले सकती है।

6. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

विभिन्न संस्थाओं/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण ईकाई के कार्यालय से प्राप्त व्यय विवरणी सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र महिला विकास निगम को उपलब्ध कराया जाता है। महिला विकास निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल विवाह को रोकना है।

2. निधि का संवितरण

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शत प्रतिशत राज्य सरकार की योजना है।

3. देय राशि

इस योजना अन्तर्गत कन्या के विवाह के समय 5000/- रू0 का भुगतान कन्या के बैंक खाते में किया जाता है।

4. पात्रता

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार अथवा ऐसे अन्य परिवार जिनकी आय 60000/- रू0 तक की हो, की 18 वर्ष से अन्यून विवाहित कन्याएँ होंगी जिनका विवाह निबंधन हो चूका हो।

5. प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर जमा करेंगे तथा इसकी स्वीकृति जांचोपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।

6. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

विभिन्न संस्थाओं/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण ईकाई के कार्यालय से प्राप्त व्यय विवरणी सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र महिला विकास निगम को उपलब्ध कराया जाता है। महिला विकास निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जिला बाल संरक्षण ईकाई के कार्यालय से प्राप्त व्यय विवरणी सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जायेगा।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधक/जिला बाल संरक्षण ईकाई/ जिला पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठकों में सभी योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन की जाती है तथा राज्य स्तर पर आयोजित मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक समीक्षा बैठकों में महिला विकास निगम/विभाग द्वारा योजनाओं की समीक्षा की जाती है। सभी योजनाओं के लिए समेकित एम0आइ0एस0 प्रणाली के अतिरिक्त थर्ड पार्टी द्वारा समय-समय पर संघात मूल्यांकन तथा निगम के पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की समीक्षा की जाती है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस योजना से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस योजना से संबंधित शिकायत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के विकास से संबंधित सामाजिक सशक्तिकरण, सांस्कृतिक सशक्तिकरण तथा आर्थिक सशक्तिकरण संबंधी कार्य समेकित है। साथ ही महिलाओं से संबंधित सूचनाओं का संग्रह, संग्रहण, प्रकाशण तथा प्रसारण, अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यो के लिए बिहार राज्य महिला सूचना एवं संसाधन केन्द्र/जेण्डर रिर्सोस सेन्टर संचालित है।

2. निधि का संवितरण

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना शत प्रतिशत राज्य सरकार की योजना है।

3. देय राशि

इसके तहत महिलाओं के विकास से संबंधित सामाजिक सशक्तिकरण अन्तर्गत महिला हेल्प लाईन, अल्पावास गृह, रक्षा गृह, कामकाजी महिला छात्रावास, शिशुपालना गृह; सांस्कृतिक सशक्तिकरण अन्तर्गत महिला सांस्कृतिक मेलों का आयोजन तथा स्वयं सहायता समूह को नवाचारी कार्यो के लिए पुरस्कार की योजना तथा आर्थिक सशक्तिकरण अन्तर्गत महिलाओं को सेवा प्रक्षेत्र में नियोजन योग्य व्यावसायिक पाठयक्रमों में प्रशिक्षण तथा नियोजन अथवा स्वरोजगार से जुड़ाव; सेवा प्रक्षेत्र के लिए प्रशिक्षण एवं कार्य अनुसंधान तथा उनके विकास एवं सशक्तिकरण के संबंध में नये विचार हेतु नवाचारी योजना को प्रोत्साहित करना है |

4. पात्रता

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अन्तर्गत किशोरियों एवं महिलाएँ पात्र होंगी।

5. प्रक्रिया

राज्य, जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर महिलाओं के विकास, सांस्कृतिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण एवं सामाजिक सशक्तिकरण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

6. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

विभिन्न संस्थाओं/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण ईकाई के कार्यालय से प्राप्त व्यय विवरणी सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र महिला विकास निगम को उपलब्ध कराया जाता है। महिला विकास निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जिला बाल संरक्षण ईकाई के कार्यालय से प्राप्त व्यय विवरणी सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधक/जिला बाल संरक्षण ईकाई/ जिला पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठकों में सभी योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन की जाती है तथा राज्य स्तर पर आयोजित मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक समीक्षा बैठकों में महिला विकास निगम/विभाग द्वारा योजनाओं की समीक्षा की जाती है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस योजना से संबंधित शिकायत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना (BISPS)

परिचय

समाज कल्याण विभाग, विश्व बैंक के समर्थन से बिहार सरकार ने बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण (BISPS) परियोजना को कार्यान्वित किया है ताकि चयनित सामाजिक सुरक्षा (SP) कार्यक्रमों और सेवाओं को वितरित करने के लिए और सामाजिक विस्तार के लिए राज्य की संस्थागत क्षमता को मजबूत किया जा सके। दिव्यांग व्यक्तियों, बुजुर्गों और विधवाओं (बिहार में महादलित, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग / वृद्ध महिलाओं सहित अनुसूचित जातियों को ध्यान में रखते हुए) के लिए देखभाल सेवाएं प्रदान करना ।

परियोजना के दो मुख्य घटक हैं:-

(i) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और सेवाओं को वितरित करने के लिए समाज कल्याण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों और संस्थागत क्षमता को मजबूत करना;

(ii) बिहार राज्य में गरीब और कमजोर परिवारों के दिव्यांगों, बुजुर्गों और विधवाओं के लिए सामाजिक देखभाल सेवाओं की पहुंच और वितरण को मजबूत करना।

पात्रता

वांछित सेवाएं प्रदान करने के लिए लाभार्थियों की पात्रता मानदंड नीचे दिया गया है:-

(i) **बुजुर्ग:** कोई भी व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है, 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर चुका है।

(ii) **दिव्यांग व्यक्ति:** दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला कोई भी व्यक्ति, जो बाधाओं के साथ बातचीत में, समाज में दूसरों के साथ समान रूप से अपनी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालता है।

(iii) **विधवा:** कोई भी महिला, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, जिसका पति जीवित नहीं है।

बुनियाद केंद्र में सेवाएं

- लाभार्थी पंजीकरण / मामले का आकलन
- फिजियोथेरेपी सेवाएं
- ऑडियोलॉजिकल सेवाएं
- भाषण थेरेपी सेवाएँ
- नेत्र विज्ञान सेवाएँ
- परामर्श सेवाएँ
- रेफरल सेवाएँ
- पेंशन सेवाएँ
- कानूनी सहायता सेवाएँ
- एड्स और उपकरणों का प्रावधान
- मनोरंजन सेवाएँ
- नाइट शेल्टर सुविधा
- मोबाइल आउटरीच थेरेपी वैन

शिकायत निवारण प्रणाली

किसी भी परियोजना संबंधी शिकायत जैसे दुर्व्यवहार, शोषण, लंबित मुद्दों, पात्र पेंशनरों की सूची में नाम शामिल न करना, व्यवहार संबंधी मुद्दों आदि का प्रबंधन और समाधान करने के लिए **जीआर सिस्टम**। यह किसी को भी संबंधित शिकायत दर्ज करने में मदद करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली है, जो परियोजना हस्तक्षेप / कर्मचारी आदि, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं / परियोजनाओं से संबंधित जानकारी चाहते हैं और बुनियाद सेंटर की सेवाओं की बेहतरी के लिए प्रतिक्रिया / सुझाव प्रदान करते हैं।

किन्नर कल्याण योजना

1. उदेश्य

इस योजना के तहत राज्य के किन्नरों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का आंकलन कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने हेतु कार्य किये जाते है।

2. निधि का संवितरण

किन्नर कल्याण योजना शत प्रतिशत राज्य स्कीम है।

3. देय राशि

राज्य के किन्नरों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने हेतु एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलानें हेतु परामर्श देना, पक्षपोषण करना, किन्नर कल्याण बोर्ड की स्थापना एवं नवाचार योजनाओं का सूत्रण एवं कार्यान्वयन करना, आदि इस योजना अंतर्गत मुख्य गतिविधि होगी।

4. पात्रता

राज्य के सभी किन्नर एवं योजना विशेष, यदि हो।

5. प्रक्रिया

योजना का नाम	आवेदन की प्रक्रिया
किन्नर कल्याण	किन्नर कल्याण बोर्ड के दिशा- निर्देश के अनुसार

6. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

जिला कार्यान्वयन इकाई स्वयं सेवी संस्थाओं एवं जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर सक्षम द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है तथा निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है। किन्नर कल्याण हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र किन्नर कल्याण बोर्ड द्वारा दिया जाता है।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना अन्तर्गत जिला स्तर पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग साथ ही बाल संरक्षण इकाई अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत है। बिहार माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2012 के तहत जिला स्तरीय समिति द्वारा वृद्धाश्रम का सतत अनुश्रवण किया जायेगा एवं इसका प्रतिवेदन निदेशालय/विभाग को भेजा जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस योजना से संबंधित शिकायत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना

1. उदेश्य

इस योजना में चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत भिक्षुकजनों का पुनर्वास, कौशल विकास तथा सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव स्थापित करना है ताकि भिक्षावृति दूर हो सके | इस योजना में वस्त्र वितरण योजना भी समाहित है|

2. निधि का संवितरण

मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना शत प्रतिशत राज्य स्कीम है।

3. देय राशि

राज्य के भिक्षुकजनों को पुनर्वास/अल्पावास गृह के माध्यम से भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं परामर्श के साथ आवासीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी| वस्त्र वितरण के तहत सूती साड़ी, धोती, चादर एवं ऊनी कम्बल भिक्षुकों, अपंगों एवं असहाय व्यक्तियों के बीच मुफ्त वितरण किया जाता है, सरकार के विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ जुड़ाव स्थापित करनें हेतु आवश्यक जानकारी, परामर्श एवं प्रशिक्षण दिया जाता है| साथ ही उनके कौशल विकासोपरांत रोजगार हेतु नियोजकों एवं स्व-रोजगार हेतु पूंजी निवेशकों/बैंकों से समन्वय स्थापित कराया जाता है।

4. पात्रता

निराश्रित, असहाय और भिक्षुक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष ही अनुमान्य होगी तथा बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का अनुपालन नियोक्ता द्वारा किया जाता है।

5. प्रक्रिया

योजना का नाम	आवेदन की प्रक्रिया	अनुमोदन
मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना	स्वयं/सर्वेक्षित/रेफरल द्वारा पुनर्वास गृह के माध्यम से	जिला प्रबंधक की अध्यक्षता में गठित समिति

6. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

जिला कार्यान्वयन इकाई स्वयं सेवी संस्थाओं एवं जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर सक्षम द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है तथा निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना अन्तर्गत जिला स्तर पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग साथ ही बाल संरक्षण इकाई अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत है। बिहार माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2012 के तहत जिला स्तरीय समिति द्वारा वृद्धाश्रम का सतत अनुश्रवण किया जायेगा एवं इसका प्रतिवेदन निदेशालय/विभाग को भेजा जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस योजना से संबंधित शिकायत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

वृद्धाश्रम (सहारा)

1. उदेश्य

इस योजना अंतर्गत वृद्धाश्रम "सहारा" का निर्माण तथा संचालन समाहित होगी जिसमें राज्य के निराश्रित एवं निर्धन वृद्धजनों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार, सहयोग एवं उचित देख-भाल हेतु आवासन, वस्त्र, भोजन, चिकित्सकीय सुविधाएं आदि उपलब्ध कराया जाता है।

2. निधि का संवितरण

वृद्धाश्रम सहारा योजना शत प्रतिशत राज्य स्कीम है।

3. देय राशि

इस योजना अंतर्गत निःशुल्क आवासन, वस्त्र, भोजन, मनोरंजन, चिकित्सकीय सुविधाएँ, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण आदि उपलब्ध कराया जाता है|

4. पात्रता

60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वैसे वृद्धजन जो बी0पी0एल0 परिवार से हो या जिनकी आय 60000/- (साठ हजार रूपया) से कम हो।

5. प्रक्रिया

योजना का नाम	आवेदन की प्रक्रिया	अनुमोदन
वृद्धाश्रम	सादे कागज में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में आवेदन किया जाता है	जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति

6. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

जिला कार्यान्वयन इकाई स्वयं सेवी संस्थाओं एवं जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर सक्षम द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है तथा निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना अन्तर्गत जिला स्तर पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग साथ ही बाल संरक्षण इकाई अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत है। बिहार माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2012 के तहत जिला स्तरीय समिति द्वारा वृद्धाश्रम का सतत अनुश्रवण किया जाता है एवं इसका प्रतिवेदन निदेशालय/विभाग को भेजा जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस योजना से संबंधित शिकायत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्या जन्म को प्रोत्साहित करना, जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करना, 02 वर्ष की बालिकाओं को सम्पूर्ण टीकाकरण करना, लिंग अनुपात में वृद्धि करना, बालिका शिशु मृत्यु दर कम करना, बालिका शिक्षा को बढावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, कुल प्रजनन दर में कमी लाने एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में लाना है, जिसके परिणामस्वरूप बालिकाओं द्वारा परिवार तथा समाज के विकास में महत्वपूर्ण येागदान होगा।

2. निधि का संवितरण

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना शत प्रतिशत राज्य सरकार की योजना है।

3. देय राशि

समाज कल्याण विभाग अंतर्गत कन्या शिशु के जन्म पर शिशु के माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में 2000/- दी जाती तथा कन्या शिशु के 01 वर्ष पूरे होने तथा आधार पंजीकरण किये जाने के बाद 1000/- रू0 उक्त खाते में पुनः दिया जाता है। यह लाभ दो कन्या शिशु तक ही देय होगा। समाज कल्याण विभाग अंतर्गत समाज कल्याण निदेशालय द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से उपलब्ध कराये गयी सूची एवं बैंक खाते में सीधे Parent – Child Account के माध्यम से NEFT/RTGS से राशि का हस्तांतरण किया जाता है।

4. पात्रता

0-2 वर्ष तक के कन्या शिशु।

4. प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर जमा कर योजना का लाभ ले सकेंगे।

5. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

महिला विकास निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है।

6. अनुश्रवण की प्रक्रिया

जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधक/जिला बाल संरक्षण ईकाई/जिला पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठकों में समीक्षा एवं मूल्यांकन की जाती है। राज्य स्तर पर आयोजित मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक समीक्षा बैठकों में महिला विकास निगम/विभाग द्वारा योजनाओं की समीक्षा की जाती है। समेकित एम0आई0एस0 प्रणाली के अतिरिक्त थर्ड पार्टी द्वारा समय-समय पर संज्ञात मूल्यांकन तथा निगम के पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की समीक्षा की जाती है।

7. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस योजना से संबंधित शिकायत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

स्वाधार गृह योजना

इस योजना के तहत, प्रत्येक जिले में स्वाधार गृह की स्थापना की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित उद्देश्यों के के साथ 30 महिलाओं की क्षमता होगी: आश्रय, भोजन, कपड़े, चिकित्सा उपचार और संकट में महिलाओं की देखभाल की प्राथमिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए और जो बिना किसी सामाजिक और आर्थिक सहायता के हैं । ताकि वे अपनी भावनात्मक ताकत हासिल कर सकें जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के साथ उनकी मुठभेड़ के कारण बाधित हो जाती है। उन्हें कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना ताकि वे परिवार/समाज में उनके पुनर्समायोजन के लिए कदम उठा सकें । ताकि उनका आर्थिक और भावनात्मक रूप से पुनर्वास किया जा सके। एक समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करना जो संकट में महिलाओं की विभिन्न आवश्यकताओं को समझता है और पूरा करता है। ताकि वे सम्मान और दृढ़ विश्वास के साथ नए सिरे से अपना जीवन शुरू कर सकें।

पात्रता :-

पात्रता मानदंडों को लागू करना राज्य सरकारों द्वारा स्थापित महिला विकास निगम सहित राज्य सरकार की एजेंसियां केन्द्रीय या राज्य स्वायत्त निकाय के द्वारा स्थापित नगर निकाय छावनी बोर्ड पंचायती राज संस्थाएं और सहकारी संस्थाएं राज्य सरकारों के महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण विभाग जो स्वाधर ग्रीह का निर्माण कर सकती हैं और उन्हें स्वयं चला सकती हैं

उज्जवला योजना

"स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन" के नारे के साथ केंद्र सरकार नें 1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना - "प्रधानमंत्री उज्जवला योजना" की शुरूआत की है।

यह योजना एक धुँआरहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। योजना से एलपीजी के उपयोग में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य संबंधी विकार, वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई को कम करने में मदद मिलेगी।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस योजना का कार्यान्वयन कर रहा है

मुख्य विशेषताएं

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने अगले 3 साल के लिए 8000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बीपीएल परिवारों के लिए 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, 1600 रुपये की वित्तीय सहायता के साथ प्रदान करेगा
- 2016 के बजट भाषण में योजना के बारे में घोषणा की गई और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2000 रुपये करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया।
- कनेक्शनों को महिला लाभार्थियों के नाम पर जारी किया जायेगा।
- चूल्हे एवं रिफिल की लागत के लिए ईएमआई की सुविधा भी प्रदान की जायेगी।
- यह प्रधानमंत्री के गिव इट अभियान के मानार्थ है जिसके तहत 75 लाख मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों नें स्वेच्छा से अपने रसोई गैस सब्सिडी को छोड़ दिया है।

उद्देश्य

- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा
- खाना पकाने के लिए एक स्वस्थ ईंधन उपलब्ध कराना
- जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण ग्रामीण आबादी के लाखों लोगों के बीच स्वास्थ्य से संबंधित खतरों को रोकने के लिए।

कार्यान्वयन

यह इतिहास में पहली बार है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इतनी विशाल कल्याण का कार्यान्वयन कर रहा है जो बीपीएल परिवारों से संबंधित करोड़ों महिलाओं को लाभ प्रदान करेगा। बीपीएल परिवारों का पहचान राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से किया जाएगा। यह योजना तीन साल अर्थात् वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में लागू किया जाएगा।